

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 487 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त, 11, 2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड-थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। Proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015
संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी का पत्रांक 527 / 12-1 दिनांक 09.08.2016.
महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:-

Question	Answer
1.Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु A के III में सही कर दिया गया है।
2.Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु B के B.2 के B.2.3 में सही कर दिया गया है।
3.Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु A के (x) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
4.In the component wise break up in Part I, mentioned "TWO" which is not clear.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा बिन्दु बी-बी.2.4 में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
5.GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georeferenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part .	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु सी-(iv) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
6.In the Sol toposheet uploaded in Part I, the starting point and end point is not marked.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु C के (iii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
7.GPS coordinate marked digitally on georeferenced map for every corner of land proposed for CA is not provided.It should be uploaded in the designated place in Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1 के बिन्दु L के (V) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
8.CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा पार्ट-2 के Additional information detaials के क.सं. 1 पर अपलोड कर दी गई है, तथा ऑन लाईन बिन्दु संख्या 14 के District Profile में भी सही कर दिया गया है।
9.The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density and the NPV calculation is also done for dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा पार्ट-1 के Additional Information Detials में बिन्दु संख्या 7 से 11 तक एक बिट बनाकर आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
10.In the SIR report of the DFO, coments on all points arenot done. SIR report,covering reply onall pointsmay be rovided.	—ए—
11.Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal may also be enclosed with the hard copy for further necessary action.	—ए— Hard Copy Provided by nodal office.

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार।

Surjeet

भवदीय,
(जी०के०रस्तोगी)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक: 527 /: 12-1 दिनांक: पौड़ी, अगस्त, 09 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015

विषय— जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड—थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी—कुल्याणी मोटर मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड—थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी—कुल्याणी मोटर मार्ग का निम्न प्रकार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है:—

Question	Answer
1.Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु A के III में सही कर दिया गया है।
2.Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु B के B.2 के B.2.3 में सही कर दिया गया है।
3.Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु A के (x) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
4.In the component wise break up in Part I, mentioned "TWO" which is not clear.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु बी-बी.2.4 में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
5.GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georeferenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part .	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु सी-(iv) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
6.In the Sol toposheet uploaded in Part I, the starting point and end point is not marked.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु C के (iii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
7.GPS coordinate marked digitally on georeferenced map for every corner of land proposed for CA is not provided.It should be uploaded in the designated place in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु L के (g) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
8.CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	बिन्दु संख्या 4 इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-2 के Additional information details के क.सं. 1 पर अपलोड कर दी गई है, तथा ऑन लाईन बिन्दु संख्या 14 के District Profile में भी सही कर दिया गया है।
9.The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density and the NPV calculation is also done for dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation.	इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-11 के Additional Information Details में बिन्दु संख्या 7 से 11 तक एक बिट बनाकरण आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
10.In the SIR report of the DFO, comments on all points are not done. SIR report, covering reply on all points may be provided.	—ए—
11.Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal may also be enclosed with the hard copy for further necessary action.	—ए— Hard Copy Provided by nodal office.

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव को अपने स्तर से ऑन लाईन भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।